


तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम, जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>कार्यवाही जानकारी 10 90 दिवस के अन्दर की जानी चाहिए किन्तु वकील प्रार्थी द्वारा उक्त कार्यवाही अभी तक भी नहीं की गई है। इसलिए उक्त पुनर्लोकन प्रारूप अवेटमेन्ट के आधार पर खारिज होने के योग्य है।</p> <p>वकील प्रार्थी द्वारा इस संबंध में कोई बहस नहीं की गई।</p> <p>बहस हुई गई पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन पर जाहिर हुआ कि दिनांक 12/10/22 को वकील प्रार्थी ने अग्रार्थी को। के निधन की जानकारी दी थी किन्तु प्रार्थी द्वारा इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई। अतः निष्कर्षात् प्रारूप (वतः ही अवेट हो चुका है। अवेटमेन्ट के आधार पर उक्त पुनर्लोकन प्रारूप खारिज किया जाता है। पत्रावली में मलथुकार होकर नम्बर 10 को होकर वापस लकील शामिल इफ्तार हो।</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;"><b>अति. जिला कलेक्टर</b> सवाई माधोपुर</p>	